6th Amendment

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 407]	नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2017/ज्येष्ठ 3, 1939
No. 407]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2017/ JYAISTHA 3, 1939

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2017

सा.का.नि. 506(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा कोलकाता पत्तन के लिए बनाए गए कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 को अनुमोदित करती है जैसा कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट है ।

2. उक्त संशोधन विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

कोलकाता पत्तन न्यास

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता और पदोन्नति)

संशोधन विनियम, 2017

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोलकाता पत्तन न्यास का न्यासी मंडल एतदद्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2013 में पुनःसंशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है :–

1. लघुशीर्ष एवं प्रारम्भ :–

   (i) ये विनियम कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2017 के नाम से जाने जाएंगे ।

   (ii) ये महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 व 132 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित सरकारी राजपत्र में केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता और पदोन्नति) विनियम, 2013 में:–

   (क) विनियम 3 में, उप–विनियम (घ) (ii) के तहत प्रविष्टियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"प्रभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, कोलकाता गोदी प्रणाली अथवा हल्दिया गोदी परिसर में संबंधित प्रभाग का प्रभारी अधिकारी ।"

(ख) विनियम 12 में, उपविनियम (2) के अंतर्गत खंड (क) (i) के शीर्षक "एचओडी के लिए" शीर्षक "एचडीसी के जीएम सहित एचओडी के लिए" शीर्षक से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) विनियम 12 में, उप–विनियम (2) का खंड (क) (ii) को हटा दिया जाएगा ।

(घ) विनियम 12 में, उपविनियम (2) के अंतर्गत खंड (ग) (i) के तहत सेवा चयन समिति का गठन निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"i) "उपाध्यक्ष –अध्यक्ष

ii) महाप्रबंधक (एम एंड एस) –सदस्य

iii) विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक जिसमें पद रिक्त हो –सदस्य

iv) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा नामित एससी, एसटी और ओबीसी के प्रतिनिधि, यथा–प्रयोज्य। –सदस्य

[महाप्रबंधक (एमएंडएस) की अध्यक्षता के विभाग में हुए रिक्त पद के मामले में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा किसी अन्य महाप्रबंधक को नामित किया जाएगा।]"

(ङ) विनियम 12 में, उप–विनियम (2) के अंतर्गत खंड (ग) (ii) के तहत सेवा चयन समिति का गठन निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"i) महाप्रबंधक (एमएंडएस) –अध्यक्ष

ii) विभाग के प्रभारी महाप्रबंधक जिसमें पद रिक्त हो –सदस्य

iii) महाप्रबंधक (वित्त) –सदस्य

iv) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा नामित एससी, एसटी और ओबीसी के प्रतिनिधि, यथा–प्रयोज्य। –सदस्य

[महाप्रबंधक (एमएंडएस) और महाप्रबंधक (वित्त) की अध्यक्षता के विभाग के अंतर्गत हुए रिक्त पद के मामले में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष (हल्दिया) द्वारा किसी अन्य महाप्रबंधक को नामित किया जाएगा।]"

(च) विनियम 12 में, उपविनियम (2) के अंतर्गत खंड (च) के तहत सेवा चयन समिति का गठन निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"i) अधिकारी जो महाप्रबंधक (एमएंडएस) के डेपूटी से नीचे के रैंक का न हो –अध्यक्ष

ii) अधिकारी जो उस विभाग के महाप्रबंधक के डेपूटी से नीचे के रैंक का न हो, जिसमें पद रिक्त हो –सदस्य

iii) अधिकारी जो महाप्रबंधक (वित्त) के डेपूटी से नीचे का रैंक का न हो, –सदस्य

iv) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा नामित एससी, एसटी और ओबीसी के प्रतिनिधि, यथा–प्रयोज्य । –सदस्य

[महाप्रबंधक (एमएंडएस) और महाप्रबंधक (वित्त) की अध्यक्षता के विभाग के तहत हुए रिक्त पद के मामले में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा समकक्ष पदधारी किसी अन्य अधिकारी को नामित किया जाएगा।]"

(छ) विनियम 12 में, उप–विनियम (2) के अंतर्गत खंड (छ) के तहत सेवा चयन समिति का गठन निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

i) महाप्रबंधक (एमएंडएस) के अधीन महाप्रबंधक (एमएंडएस) के डेपुटी के नीचे के रैंक का श्रेणी –I अधिकारी, –अध्यक्ष

ii) विभाग, जिसमें रिक्ति हुई हो, के महाप्रबंधक के डेपुटी

के नीचे के रैंक का श्रेणी –I अधिकारी, –सदस्य

iii) महाप्रबंधक (वित्त) के डेपुटी के नीचे के रैंक का श्रेणी –I अधिकारी, –सदस्य

iv) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा नामित एससी, एसटी और ओबीसी के प्रतिनिधि, यथा–प्रयोज्य ।

[महाप्रबंधक (एम एंड एस) अथवा महाप्रबंधक (वित्त) की अध्यक्षता के विभाग के तहत हुए रिक्त पद के मामले में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा समकक्ष पदधारी किसी अन्य अधिकारी को नामित किया जाएगा।]"

(ज) हल्दिया गोदी परिसर के तहत अनुसूची में कम सं. 1 पर महाप्रबंधक (यातायात), कम सं. 2 पर महाप्रबंधक (इंजीनिरिंग), कम सं. 3 पर महाप्रबंधक (मरीन), कम सं. 4 पर महाप्रबंधक (एमएंडएस) और कम सं. 5 पर महाप्रबंधक (वित्त) के पद के लिए कॉलम–4 (वर्गीकरण) के तहत प्रविष्टियों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"श्रेणी-I (विभागाध्यक्ष)"

(झ) हल्दिया गोदी परिसर के तहत अनुसूची में कम सं. 1 पर महाप्रबंधक (यातायात), कम सं. 2 पर महाप्रबंधक (इंजीनिरिंग), कम सं. 3 पर महाप्रबंधक (मरीन), कम सं. 4 पर महाप्रबंधक (एमएंडएस) और कम सं. 5 पर महाप्रबंधक (वित्त) के पद के लिए कॉलम–7 [(सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा) (वर्षों में)], आंकड़ा "40" आंकड़ा "45" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा."

[फा. सं. पीआर –12012/5/2016–पीई– I]
प्रवीर कृष्ण, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : प्रधान विनियम दिनांक 15.10.2013 के सा.का.नि. सं. 687(अ) के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ था। तदुपरांत दिनांक 26.12.2014 के सा.का.नि. सं. 23 (अ) के तहत शुद्धि-पत्र जारी हुआ तथा उसके पश्चात दिनांक 31.07.2015 के सा.का.नि.सं. 602 (अ) और दिनांक 18.09.2015 के सा.का.नि. सं0 724(अ) के तहत संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2017

G.S.R. 506(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017 made by the Board of Trustees for the Port of Kolkata as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the official Gazette.

SCHEDULE

Kolkata Port Trust

Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017.

In exercise of the power conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) the Board of Trustees for the Port of Kolkata hereby makes the following Regulations further to amend the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2013:-

1. Short title and commencement:

i) These Regulations may be called the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2017.

ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Sections 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Official Gazette.

2. In the Kolkata Port Trust Employees' (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2013.-

(a) in Regulations 3, the entries under sub – regulation (d) (ii) shall be substituted as under :-

"Head of Division" means the Officer-in-Charge of the respective division at Kolkata Dock System or Haldia Dock Complex."

(b) in Regulation 12, the heading "For HODs" of clause (a) (i) of Sub-regulation (2) shall be substituted by the heading "For HODs including GMs of HDC".

(c) in Regulation 12, clause (a)(ii) of sub-regulation (2) shall be deleted.

(d) in Regulation 12, in sub-regulation (2), the composition of Service Selection Committee under clause (c)(i) shall be substituted as under:-

"i)	Deputy Chairman	-	Chairman
ii)	General Manager (M&S)	-	Member
iii)	General Manager In-Charge of the Department in which the vacancy occurs	-	Member
iv)	Representative of SC, ST and OBC nominated by the Chairman/ Dy. Chairman, if applicable.	-	Member

[Any other General Manager to be nominated by Chairman / Dy. Chairman in case vacancy occurs in the Department headed by General Manager (M&S)] "

(e) in regulation 12, in sub-regulation (2), the composition of Service Selection Committee under clause (c)(ii) shall be substituted as under:-

"i)	General Manager (M&S)	-	Chairman
ii)	General Manager In-Charge of the Department in which the vacancy occurs	-	Member
iii)	General Manager (Finance)	-	Member
iv)	Representative of SC, ST and OBC nominated by the Chairman/ Dy. Chairman, if applicable.	-	Member

[Any other General Manager to be nominated by Chairman/Dy. Chairman in case vacancy occurs under the Department headed by General Manager (M&S) or General Manager (Finance)]"

(f) in Regulation 12, in sub-regulation (2), the composition of Service Selection Committee under clause (f) shall be substituted as under:-

"i)	An Officer of the rank not below Deputy to General Manager (M & S)	-	Chairman
ii)	An officer of the rank not below Deputy to the General Manager in which Department the vacancy occurs	-	Member
iii)	An officer of the rank not below Deputy to the General Manager (Finance)	-	Member
iv)	Representative of SC, ST and OBC nominated by the Chairman/ Dy. Chairman, if applicable.	-	Member

[Any other officer of equivalent rank to be nominated by Chairman/Dy. Chairman in case vacancy occurs under the Department headed by General Manager (M&S) or General Manager (Finance)] "

(g) in Regulation 12, in sub-regulation (2), the composition of Service Selection Committee under clause (g) shall be substituted as under:-

"i)	A class-I officer under General Manager (M&S) below the rank of Deputy to the General Manager (M&S)	- Chairman
ii)	A class-I officer below the rank of Deputy to the General Manager of the Department in which the vacancy occurs	- Member
iii)	A class-I officer below the rank of Deputy to the General Manager (Finance)	- Member
iv)	Representative of SC, ST and OBC nominated by the Chairman/ Dy. Chairman, if applicable.	- Member

[Any other Officer of equivalent rank to be nominated by Chairman/Dy. Chairman in case vacancy occurs under the Department headed by General Manager (M&S) or General Manager (Finance)]"

(h) in the Schedule, under Haldia Dock Complex, for the post of General Manager (Traffic) at Sl.No. 1, General Manager (Engineering.) at Sl.No. 2, General Manager (Marine) at Sl.No. 3, General Manager (M&S) at Sl.No. 4 and General Manager (Finance) at Sl.No. 5, the entries under column-4 (Classification), shall be substituted as under:-

"Class – I (HOD)"

"(i) in the Schedule, under Haldia Dock Complex, for the post of General Manager (Traffic) at Sl.No. 1, General Manager (Engineering.) at Sl.No. 2, General Manager (Marine) at Sl. No. 3, General Manager (M&S) at Sl.No. 4 and General Manager (Finance) at Sl.No. 5, under column-7 [upper age-limit for direct recruitment (in years)], the figure "40" shall be substituted by the figure "45""

[F. No.PR-12012/5/2016-PE-I]

PRAVIR KRISHN, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Gazette of India (Extraordinary) vide G.S.R. No. 687 (E) dated 15.10.2013, followed by Corrigendum vide G.S.R. No. 23(E) dated 26.12.2014 and subsequently amended vide G.S.R. No. 602 (E) dated 31.07.2015 and G.S.R. No. 724(E) dated 18.09.2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.25 16:33:47 +05'30'